Net

प्रेषक

निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा
शिक्षा सदन,सैक्टर–5, पंचकूला

सेवा में

श्री देवेन्द्र खुंगा प्रधान,
हरियाणा एजूकेशन मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (हेमसा)

यादी कमांक 22/101–11 एच0आर0एम0ई0 (4)
दिनांक, पंचकूला 20/9/12

विषय – **दिनांक 19.9.12 को हरियाणा एजूकेशन मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (देवेन्द्र खुंगा प्रधान) के साथ हुई संयुक्त निदेशक प्रशासन महोदय की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट पर कार्यवाही करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको दिनांक 19.9.12 को आपकी एसोसिएशन के साथ हुई बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

क0	मांग पत्र	विभागीय टिप्पणी
1	स्थापना अधिकारी का पद क्लास–II में बनाया जाना जायज है। जिला शिक्षा अधिकारियों के अधीन प्रत्येक जिला में उप जिला शिक्षा अधिकारी क्लास–II हो सकते हैं तो इनके समकक्ष स्थापना अधिकारी क्लास–II भी बनाया जाना न्यायसंगत है। अतः डी0ई0ओ0 कार्यालय में अधीक्षक से उपर एक स्थापना अधिकारी होना चाहिए।	मांग उचित व तर्क संगत है। मामला नीतिगत होने के कारण यदि सहमति हो तो तालमेल शाखा को उचित कार्यवाही करने बारे लिख दिया जाये।
2	क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक, उप अधीक्षक व अधीक्षक के रिक्त पड़े रहते हैं जबकि निदेशालय में कोई भी पदोन्नति का पद एक मास से अधिक समय तक खाली नहीं रहता है। इसके लिए निदेशालय में अधिकारी/कर्मचारी ढील की नीति से कार्य करते आ रहे हैं जबकि समयबद्ध पदोन्नति की नीति जो निदेशालय में लागू है, वह क्षेत्रीय कार्यालयों में भी लागू होनी चाहिए। अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए उप अधीक्षक के पद पर 3 वर्ष के अनुभव की शर्त है जो कि बिल्कुल गलत है। क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिक से सहायक लगभग 30 वर्ष कीक सेवा उपरान्त बनाए जाते हैं तथा सहायक से उप अधीक्षक लगभग 35 वर्ष की सेवा के बाद बनाए जाते हैं । क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारी काफी दक्ष/अनुभवी होते हैं। अतः उप अधीक्षक पद के 3 वर्ष के अनुभव की शर्त को हटाते हुए रिक्तियों के आधार पर तुरन्त पदोन्नति की जानी चाहिए। क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति निदेशालय की तर्ज पर होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों के गिरते मनोबल को रोका जा सके तथा सेवानिवृति तक प्रत्येक लिपिक को कम से कम तीन पदोन्नति मिल सके।	क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक, उप अधीक्षक व अधीक्षक की पदोन्नति रिक्तियां उपलब्ध होने पर क्षेत्रीय कार्यालयों से समय –2 पर मामले प्राप्त होने उपरान्त पदोन्नति सूचिया जारी कर दी जाती हैं। जहां तक 3 वर्ष के अनुभव की शर्त हटाने का सवाल है। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
3	क्षेत्रीय कार्यालय के खण्डों में खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में 2 सहायक व 3 लिपिक का स्टाफ बहुत ही कम है क्योंकि किसी भी ग्रामीण खण्ड में 50 सरकारी तथा 50	समय–2 पर पदोन्नति द्वारा व सीधी भर्ती द्वारा जहां आवश्यकता होती है। सम्बन्धित पदों को भर दिया जाता है।

	प्राईवेट स्कूल से कम संख्या नहीं है जबकि शहरी क्षेत्रो खण्डों में 150 सरकारी तथा 150 प्राईवेट स्कूल से संख्या कम नहीं है। प्रत्येक शिक्षा खण्ड में स्कूलों की समान संख्या बनाई जाए तथा इन सभी कार्यालयों में 1 उप अधीक्षक, 4 सहायक व 6 लिपिक की संख्या न्यायोचित है क्योंकि सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करवाने तथा क्षेत्र के स्कूलों से सूचना/डाटा इन्हीं कार्यालयों द्वारा एकत्रित किया जाता है। यदि खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय से बाहर होता है तो उनके कार्यालय में नियंत्रण व पब्लिक डीलिंग के लिए एक उप अधीक्षक का पद अति आवश्यक है।	खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में उप अधीक्षक के पद बारे मांग उचित प्रतीत नहीं होती है।
4	निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 12/49–2011 एडमिन (2) दिनांक 22.9.11 के अनुसार जिले के मास्टर एवं सी0एण्ड.वी. वर्ग को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिफ्ट कर दिया गया, जिस कारण जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिफ्ट कर दिया गया, जिस कारण जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वर्कलोड का पद, दो सहायक के अतिरिक्त पद तथा दो लिपिकों के अतिरिक्त पदों को सृजित किया जाए जिससे विभागीय कार्य सुचारू रूप से चल सके।	इस बारे कार्यवाही तालमेल शाखा द्वारा की जानी है अतः यदि सहमति हो तो इस बारे उचित कार्यवाही करने बारे तालमेल शाखा को लिख दिया जाये।
5	लिपिक वर्ग कर्मचारियों की रिक्ति के कारण किसी भी विद्यालय तथा कार्यालय का कार्य प्रभावित होता है। आज हरियाणा सरकार द्वारा छात्रों की शिक्षा के उत्थान व आर्थिक सहायता के लिए अनेकों नई स्कीमें बनाई जा रही है। यदि विद्यालयों/कार्यालयों में लिपिक नहीं होंगे तो सरकारी नीतियों का समय पर क्रियान्वन करवाया जाना संभव नहीं होगा। लिपिकों के अभाव में प्राचार्यों/मुख्याध्यापकों या अन्य अध्यापकों को कार्यालय के कार्यों में व्यस्त होना पड़ता है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अतः लिपिक वर्ग के रिक्त पदों को नई नियुक्ति या चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति के द्वारा भरा जाए।	1598 पदों पर सीधी भर्ती से हाल ही में लिपिक वर्ग की नियुक्ति सूचि जारी की जा चुकी है। चतुर्थ श्रेणी की पदोन्नति सूची समय –2 पर जारी होती रहती है। निकट भविष्य में भी जल्द ही पदोन्नति सूची जारी होने की सम्भावना है।
6	हरियाणा प्रान्त के अधिकतर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या लगभग 1500 तथा इससे अधिक भी है और टीचिंग स्टाफ 40–100 तक भी है, जिससे विद्यालय में एक लिपिक होने के कारण उस पर कार्य का अतिरिक्त बोझ है। अतः कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक सहायक का पद सृजित किया जाए ताकि लिपिक के कार्य का बोझ कम हो सके।	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सहायक की मांग उचित व तर्क संगत नहीं है। जहां तक लिपिकों का सवाल है जिस विद्यालय में वर्क लोड अधिक है वहां पर 2 लिपिक लगाने की मांग उचित है। अतः यदि सहमति हो तो इस बारे पद स्वीकृत करवाने बारे सैकण्डरी शाखा को लिख दिया जाये।
7	कन्या विद्यालयों में लिपिक के स्थानांतरण पर 50 वर्ष की आयु की जो शर्त लगाई गई है, उसे हटाया जाए क्योंकि 50 वर्ष की आयु तक लिपिक की पदोन्नति हो जाती है जिस कारण राजय के कन्या विद्यालयों में लिपिक के पद रिक्त पड़े रहते हैं। जिस कारण इन विद्यालयों के कार्य अधूरे रहते हैं।	मांग उचित व तर्क संगत है नीतिगत मामला होने के कारण यदि सहमति हो तो तालमेल शाखा को लिख दिया जाये।
8	लिपिक तथा अध्यापक सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारी है। यदि अध्यापकों के बच्चों को केन्द्रीय/राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायकता दी जाती है तो शिक्षा विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को सहायता से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है।	मांग उचित व तर्क संगत है प्रतीत होती है। यदि सहमति हो तो केन्द्र सरकार को लिखने बारे तालमेल शाखा को लिख दिया जाये।

	इसके लिए निदेशालय द्वारा इन लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के बच्चों को भी वित्तीय सहायता 15000/– दिए जाने बारे प्रस्ताव केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार को भेजना चाहिए क्योंकि लिपिक वर्ग व अध्यापक वर्ग दोनो ही शिक्षा विभाग में हैं। इसके लिए निदेशक महोदय के सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए लिपिक वर्ग आभारी होगा।	
9	लिपिक/सहायकों को टाईप मशीन /कम्पयूटर पर टाईप करने के लिए सरकारी की हिदायतें वर्ष 1970 से लागू हें और शिक्षा विभाग के लिपिक स्कूलों/कार्यालयों में टाइप कार्य दक्षतापूर्वक अपने डी.डी.ओ. के अधीन करते हैं। यदि कोई डी. डी.ओ. उनके कार्यों से संतुष्ट है तो उसकी परीक्षा के लिए डी. डी.ओ. को सक्षम हैं तो टाइप टैस्ट की पावर डी.डी.ओ. को देना भी न्यायोचित होगा।	मांग उचित व तर्क संगत नहीं है। यह शक्तियां जि0शि0अ0 के पास ही उचित हैं।
10	बी0आर0सी0 कम बी.ई.ई.ओ. के कार्यालय में शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिक/सहायकों को ही लगाया जाए। आउट सोर्सिंग बंद की जाए।	मामले का सम्बन्ध सर्व शिक्षा अभियान से है अतः मामले पर विचार करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान को लिख दिया जाये।
11	शिक्षा विभाग में अधिकतर लिपिक ग्रेजुएट हैं और उनमें अन्य भी अधिक शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के इच्छुक हैं। परन्तु अपनी शैक्षणिक योग्यता का इनको लाभ नहीं मिलता है तो इससे उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। यदि विभाग लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुरूप समायोजित कर देता है तो एक तो विभाग में उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। प्राईमरी विभाग के जे0बी0टी0 अध्यापक को सैकण्डरी विभाग का मास्टर/ प्राध्यापक/प्राचार्य बनाया जा सकता है तो सैकण्डरी शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिक को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा विभाग में समायोजित न किया जाना न्याय संगत नहीं है।	नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है। यदि योग्यातानुसार पद पाना चाहते हैं तो सीधी भर्ती से आवेदन कर सकता है।
12	शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी निष्ठापूर्वक प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेते हैं। अतः विभाग के एक आदेश के अंतर्गत 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सभी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कन्फर्म किया जा सकता है। प्राध्यापक/मास्टर वर्ग निदेशालय के एक आदेश से कन्फर्म कर दिए जाते हैं तो इस विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।	लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को कन्फर्म करने बारे क्षेत्रीय कार्यालयों से रिकार्ड मांगा हुआ है लगभग 10 जिलों से मामले प्राप्त नहीं हुए है। प्राप्त होने उपरान्त उचित कार्यवाही कर ली जायेगी।
13	शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को भी अध्यापक वर्ग की भांति दहांत उपरान्त दाह संस्कार की राशि दी जाए।	मांग उचित व तर्कसंगत है । नीतिगत मामला होने के कारण यदि सहमति हो तो तालमेल शाखा को उचित कार्यवाही करने हेतू लिख दिया जाए ।

14	विद्यालय में कार्यरत लिपिक को बायोमीट्रिक मशीन में हाजिरी लगाने में छूट मिलनी चाहिए क्योंकि लिपिक को कार्यालय के कार्य हेतु खजना/ बैंक/विभिन्न शिक्षा कार्यालयों में जाना पड़ता है।	बायोमीट्रिक मशीन में हाजिरी लगाने में छूट बारे संशोधित पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है ।
15	पदोन्नति उपरान्त काउंसिलिंग के माध्यम से लाभार्थियों को नियुक्ति स्थान दिए जाएं।	पदोन्नति के समय काउंसिलिंग द्वारा पद भरने बारे भविष्य में विचार कर लिया जाएगा ।

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कृतेः निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला

पृष्ठांकन कमांक सम **दिनांक पंचकूला**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

1. **निजी सचिव, संयुक्त निदेशक प्रशासन।**
2. **निदेशालय के सभी शाखा अधिकारी/अधीक्षक।**

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कृतेः निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला